न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल के समक्ष

गियान देवी और अन्य, — याचिकाकर्ता

बनाम

बच्चन मोटर फ़ाइनैन्सर्स (प्रा) लिमिटेड — उत्तरदाता

कम्पनी याचिका सं. 59 सन् 1986

सितंबर 5, 1986

कंपनी अधिनियम (1956 का I) — धारा 446(1)(ब) और 528 — कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959— परिसमापन की स्थिति में कंपनी के खिलाफ अधिनियम की धारा 446(एल)(बी) के तहत ऋण की वसूली के लिए याचिका दायर करने वाला असुरक्षित ऋणदाता— यह याचिका — यदि क़ायम रखने योग्य है — ऐसा ऋण — यदि अधिनियम और नियमों की धारा 528 के तहत आधिकारिक परिसमापक के समक्ष साबित किया जाना आवश्यक है।

अभिनिर्णित, अधिनियम की धारा 528 (को पढ़ने पर) में प्रावधान है कि प्रत्येक समापन में, आकस्मिकता पर देय सभी ऋण, और कंपनी के खिलाफ सभी दावे, वर्तमान या भविष्य, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या केवल नुकसान में लगने वाले, कंपनी के खिलाफ सबूत के लिए स्वीकार्य होंगे। ऋणों को कैसे साबित किया जाए इसकी एक विस्तृत प्रक्रिया कंपनी (न्यायलय) नियम, 1959 के नियम 147 से आगे के नियमों में प्रदान की गई है। परिसमापक के फैसले के खिलाफ, नियम 164 के तहत अदालत में अपील की जा सकती है। दावों को खारिज करने के बाद, आधिकारिक परिसमापक को नियम 167 के तहत लेनदारों की एक सूची तय करने की आवश्यकता होती है जिसे अनुमोदन के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। एक बार निपटारे के बाद लेनदारों की सूची में अदालत के आदेश के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि लेनदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ ऋण के प्रमाण के लिए अधिनियम और नियमों में एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 446 के तहत सामान्य प्रावधान, स्पष्ट रूप से, बाहर रखा जाएगा और केवल उन मामलों में उपलब्ध होगा जहां परिसमापक के समक्ष ऋण के सबूत का उपाय उपलब्ध नहीं है। इसलिए, कंपनी के खिलाफ एक असुरक्षित ऋणदाता की याचिका अधिनियम की धारा 446(2)(बी) के तहत सक्षम नहीं होगी और उसका उपाय केवल आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अधिनियम की धारा 528 के प्रावधानों के अनुसार अपने ऋण को साबित करना है।

(पैरा 2 और 3)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और रुपये 8,000 एवं 2 फरवर्री, 1980 से प्राप्ति की तिथि तक प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से भविष्य का ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिवादी के खिलाफ आदेश देने की कृपा करे।

कृपया याचिका की लागत प्रदान की जाए। ऐसे अन्य आदेश जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझे जाएं, भी पारित किये जा सकते हैं।

एच. एस. संघा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए ।

ए. सी. जैन, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल-

(1) यह आदेश तीन याचिकाओं (कंपनी याचिका संख्या 59, 60 और 61, 1986) का निपटारा करेगा जिसमें कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल है।

(2) याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 446 के तहत परिसमापन में चल रही कंपनी से कथित ब्याज सहित ऋण की राशि की वसूली के लिए ये याचिकाएं दायर की हैं। आधिकारिक परिसमापक द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि धारा 446(2)(बी) के तहत कोई भी याचिका सक्षम नहीं है और याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम की धारा 528 के तहत आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपने ऋण को साबित करना था। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 (इसके बाद इसे "नियम" कहा जाएगा) में प्रदान की गई प्रक्रिया। अधिनियम की धारा 528 में प्रावधान है कि प्रत्येक समापन में, आकस्मिकता पर देय सभी ऋण, और कंपनी के खिलाफ सभी दावे, वर्तमान या भविष्य, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या केवल नुकसान में लगने वाले, कंपनी के खिलाफ सबूत के लिए स्वीकार्य होंगे। ऋणों को कैसे साबित किया जाए इसकी एक विस्तृत प्रक्रिया नियम 147 से आगे के नियमों में प्रदान की गई है। परिसमापक के फैसले के खिलाफ, नियम 164 के तहत अदालत में अपील की जा सकती है। दावों को खारिज करने के बाद, आधिकारिक परिसमापक को नियम 167 के तहत लेनदारों की एक सूची तय करने की आवश्यकता होती है जिसे अनुमोदन के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। एक बार निपटारे के बाद लेनदारों की सूची में अदालत के आदेश के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि लेनदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ ऋण के प्रमाण के लिए अधिनियम और नियमों में एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 446 के तहत सामान्य प्रावधान, स्पष्ट रूप से, बाहर रखा जाएगा और केवल उन मामलों में उपलब्ध होगा जहां

परिसमापक के समक्ष ऋण केसबूत का उपाय उपलब्ध नहीं है, जैसे कि एक सुरक्षित लेनदार के मामले में।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वक अधिवक्ता ने अपने तर्क कि अधिनियम की धारा 446(2) (बी) के तहत एक याचिका एक लेनदार द्वारा कंपनी के खिलाफ सक्षम होगी के समर्थन में *जयमल सिंह माकिन बनाम आधिकारिक परिसमापक, मैजेस्टिक फाइनेंसर्स (प्रा.) लिमिटेड* (1) में एक पूर्ण पीठ का निर्णय और *पंजाब फाइनेंस प्रा. लिमिटेड बनाम मल्हारा सिंह* और अन्य (2) में इस अदालत का एकल पीठ के फैसला; पर निर्भरता ली है । इनमें से किसी भी निर्णय में, इस तर्क पर विशेष रूप से बहस नहीं की गई या निपटाया नहीं गया। इन दोनों मामलों में अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या कोई आवेदन उक्त प्रावधान के तहत आधिकारिक परिसमापक द्वारा सक्षम था और उस पर देय अदालत शुल्क क्या होगा। यदि आधिकारिक परिसमापक को कंपनी की ओर से किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ दावा दायर करना है, तो जाहिर है, एकमात्र उपाय अधिनियम की धारा 446 के तहत उपलब्ध है। इसलिए, ये निर्णय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को कोई समर्थन नहीं देते हैं कि उनके दावे को लागू करने के लिए दोनों उपाय खुले हैं और वे उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि कंपनी के खिलाफ एक असुरक्षित ऋणदाता की याचिका अधिनियम की धारा 446(2)(बी) के तहत सक्षम नहीं होगी और उसका उपाय केवल आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अधिनियम की धारा 528 के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने ऋण को साबित करना है। परिणामस्वरूप, ये याचिकाएँ ख़ारिज कर दी जाती हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

(1) A.I.R. 1978 Delhi 169.
(2) 1975 Tax L.R. 1670.

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा